

SN09 (Issue)

(25)

F.No.24013/01//2008-ATC
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Anti-Trafficking Cell)

NEW DELHI-110001, the 7th January, 2010


OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Transfer of application of Shri Gopal Kansara under RTI Act, 2005.

The undersigned is directed to transfer herewith an application dated 24.12.2009 (received in this Ministry on 31.12.2009) from Shri Gopal Kansara seeking information under RTI Act, 2005 regarding sex workers.


2. As the desired information does not fall completely under the jurisdiction of the MHA, accordingly application is transferred to your Ministry under Rule 6(3) of the RTI Act for necessary action. However, in case it does not fall under your jurisdiction it may please be further transferred to the CPIO/Public Authority to which the subject matter is more closely connected, directly under intimation to the applicant. It is requested that information may be provided to the applicant directly.

3. The prescribed application fee of Rs. 10/- has been received in this Ministry by way of IPO and a copy of the receipt No. 9389 dated 31.12.2009 is enclosed.


(Dr. (Smt) Praveen Kumari Singh)
Director(SR)
Ph.No.23092961.

To,

1. The Deputy Secretary and CPIO, Ministry of Health, Nirman Bhawan, New Delhi with the request to send information on the points 2 & 8 to the applicant directly.



38

2. The Deputy Secretary & CPIO, Ministry of External Affairs, South Block, New Delhi with the request to send information on the points 4, 9 & 10 to the applicant directly.

3. The Deputy Secretary & CPIO, Ministry of Women and Child Development, Shastri Bhawan, New Delhi with the request to send information on the points 3, 5, 6,7 & 8 to the applicant directly.

4. Shri Gopal Kansara, S/o Late Sh. Udaylalji, Subhash Marg, Narainji ka Seria, P.O. Devgarh, Madaria-313331, Distt. Rajsamand, Rajasthan.

रक्षा हेतु आवेदन पत्र

32

का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत

श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी जी, ^{c/o} माननीय
केन्द्रीय गृह मन्त्रालय, नई-दिल्ली। नार्थ ब्लॉक,
आवेदक का नाम - गोपाल कंसारा

पूरा पता/ई-मेल/फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जानी है -
गोपाल कंसारा ^{Sl.0} स्व. श्री उदयलाल जी, सुभाष-मार्ग, नारायणजी का झेरिया,
P.O. देवगढ़-मदारिया-313331, जिला-राजसमन्द (राज.)
आवेदन देने की तिनांक - 24.12.09

कार्यालय का नाम - केन्द्रीय गृह मन्त्रालय,

उम्मेदारी जरा हटो
कजी जरा हमारी दारतान
भी सुनो! कोजी डे

चाही गई जानकारी का विवरण -

- R.T.I. (A)T-05 के तहत निम्न बिन्दुओं की सूचना दिलावे :-
- वर्ष 2010 के ओलंपिड खेल अन्तराष्ट्रीय जो कि भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई-दिल्ली में होंगे। संलग्न तिनांक 3 अगस्त 2008 का राजस्थान-पत्रिका शिवारीय में "देह का खेल" नाम से चीन देश के सन्दर्भ में खबर छपी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के G.B. Road में 5:00:00 सेक्स वर्क्स का अनुमान समान्य रूपों से है। देश भर में करीब 25 लाख यौन-कर्म हैं। इस ओलंपिड खेल में देह व्यापार रोकने के लिये केन्द्रीय गृह मन्त्रालय द्वारा किये उपायों की जानकारी चाहिये / आदेश / दस्तावेज की सत्यापित फोटो कापीयाँ चाहिये।
 - केन्द्रीय गृह मन्त्रालय द्वारा ओलंपिड खेल में "सुरक्षित यौन सम्बन्ध" हो, इसके लिये किये उपायों / आदेशों का विवरण चाहिये।
 - हमारे देश में किन-किन राज्यों के जिले / गाँवों को जहाँ SEX-WORKERS रहती हैं और RED LIGHT AREA माना गया है। सम्पूर्ण सूचना चाही किन्-किस देश की
 - हमारे देश में किन-किन राज्यों / महानगरों में विदेशी महिलाओं द्वारा सम्बन्धित सूचना की समयावधि (48 घण्टे / 30 दिवस) 30 days
- आवश्यक / सामान्य आवश्यक
सूचना दी जावे (प्रत्यक्ष/डाक द्वारा) डाक द्वारा
डाक से भंगवानी है तो डाक का पता - गोपाल कंसारा ^{Sl.0} स्व. श्री उदयलाल जी,
सुभाष-मार्ग, नारायणजी का झेरिया, P.O. देवगढ़-मदारिया-313331, जिला-राजसमन्द (राज.)
संलग्न पो.आ. विवरण क्रमांक 778 (289) तिनांक 24.12.09 रुपये 10/-
स्थान - देवगढ़-मदारिया-313331

7/RTI/2010

Gopal Kansara 24/12/09

यौन व्यापार किया जा रहा है। इस व्यापार के लिये ली गई अनुमति केन्द्रीय गृह मन्त्रालय / विदेश मन्त्रालय से आवश्यक है अथवा नहीं।

5) राष्ट्रीय राजधानी नई-दिल्ली का RED LIGHT AREA

G.B. Road, में नेपाली यौन-कर्मियों द्वारा "देह व्यापार" किया जा रहा है। इन यौन-कर्मियों को भारत सरकार से अनुमति प्राप्त है। - अनुमति का विस्तृत विवरण / आदेश की सत्यापित कॉपीयाँ चाहिए।

6) केन्द्रीय गृह मन्त्रालय द्वारा यौन-कर्मियों की सुरक्षा के लिये किस प्रकार की सुविधा प्रदान करवाता है। सम्पूर्ण विवरण चाहिए।

7) जो यौन-कर्मि इस गन्दगी से बाहर निकलना चाहती है, परन्तु कोठों के मालिक से छूट नहीं सकती है। ऐसे यौन-कर्मियों को मुक्त करवाने के लिये किस विभाग से समर्थन करना पड़ता है। वहाँ केन्द्रीय गृह-मन्त्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का विवरण चाहिए।

8) "ओलंपिड रबेल - 2010" में "देह का रबेल" में एड्स एवम् अन्य

रुग्णों की बीमारियों की रोकथाम के लिये भारत-सरकार / गृह-मन्त्रालय / स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा किये जाये उपचारों / कार्य का सम्पूर्ण विवरण

9) ओलंपिड 2010 में विदेशी सैलानी / विदेशी SEX-WORKERS को भी आने की अनुमति

यह है देश की आन्तरिक